न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०–183 / 2022–23
छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b
रमनी देवी बनाम जवाहर लाल महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
09/9/23		

विक्रेता का नाम एवं पता :–रमनी देवी पति–स्व० रामहरि महतो, ग्राम–बुरूडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची।

क्रेता का नाम एवं पताः– जवाहर लाल महतो पिता–श्री बानेश्वर महतो, ग्राम–पारमडीह, टोला–नरसिंह कोचा, पो०–बी० नवाडीह, प्रखण्ड–राहे थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :– शिव शंकर महतो एवं यमुना प्रसाद

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–27 / 02 / 2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता–जवाहर लाल महतो पिता–श्री बानेश्वर महतो, ग्राम–पारमडीह, टोला–नरसिंह कोचा, पो०–बी० नवाडीह, प्रखण्ड–राहे थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
बुरूडीह	सोनाहातु / 73	54	1008	25डी०	पीताम्बर महतो	चरण महतो	रघुनाथ महतो	कान्तो महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–163(ii) दिनांक–19 / 05 / 2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत शिवनाथ महतो वगै० पिता–सुखदेव महतो दर्ज है।
2. खतियान रैयत / पंजी–II रैयत विक्रेता के पौत्रवधु है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम फौद महतो वगै० के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा–39.64 एकड़ भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी वर्ष–2021–22 तक वसूली गई है।
5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पौत्रवधु का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि काएमी है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता 39.39 एकड़ भूमि शेष रह जायेगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को पारिवारिक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।

9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों पिछड़ी समुदाय कुरमी जाति के सदस्य है।
10. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र (सोनाहातु) के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत विक्रेता–रमनी देवी पति–स्व० रामहरि महतो, ग्राम–बुरूडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी को क्रेता–जवाहर लाल महतो पिता–श्री बानेश्वर महतो, ग्राम–पारमडीह, टोला–नरसिंह कोचा, पो०–बी० नवाडीह, प्रखण्ड–राहे थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–10/03/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता–रमनी देवी पति–स्व० रामहरि महतो, ग्राम–बुरूडीह, पो०–बी० नवाडीह, थाना–सोनाहातु, प्रखण्ड–राहे, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहिणी को क्रेता–जवाहर लाल महतो पिता–श्री बानेश्वर महतो, ग्राम–पारमडीह, टोला–नरसिंह कोचा, पो०–बी० नवाडीह, प्रखण्ड–राहे थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
बुरूडीह	सोनाहातु/73	54	1008	25डी०	पीताम्बर महतो	चरण महतो	रघुनाथ महतो	कान्तो महतो

लेखपित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 14:00:20 +05:30
Location: 10.93.79.9